राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 264/2008 (पुराना)
– 22/2020 (नया)

1. जगदीश सिंह पुत्र जलसिंह
2. रघुवीर सिंह पुत्र जलसिंह – (फौत)
2/1 श्रीमती राजेश देवी पत्नी स्व. रघुवीर सिंह उम्र 50 साल
2/2 कर्णसिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह
2/3 रामोवतार सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह
3. शैतान सिंह पुत्र जलसिंह
जाति राजपूत निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. किशन सिंह पुत्र जलसिंह जाति राजपूत निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 – (फौत)
1/1. मोहन सिंह पुत्र स्व. किशन सिंह
1/2. बबली देवी पत्नी कंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/3. हंसा पुत्री कंवर सिंह उम्र 14 वर्ष
1/4. नीकू पुत्री कवर सिंह उम्र 10 वर्ष
1/5. कु. अनीता पुत्री कंवर सिंह उम्र 8 वर्ष जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 जरिये वाद मित्र अपनी माता बबली देवीपत्नी स्व. कंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/6. विजय सिंह पुत्र किशन सिंह
1/7. इन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
1/8. प्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/9. बिशन देवी पत्नी रामसिंह
1/10 अर्जुन सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. शेखावाटी ग्रामीण बैंक (राज0 ग्रामीण बैंक) बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
4. बरफी बेवाह शंकर सिंह (फौत)
5. मातादीन सिंह पुत्र शंकर सिंह
6. श्रवण सिंह पुत्र शंकर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

7. शायर कंवर बेवाह रोताश सिंह
8. लालसिंह पुत्र रोताश सिंह नवीरा शंकर सिंह
9. मोहरसिंह पुत्र रोताश सिंह नवीरा शंकर सिंह
जाति राजपूत निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. नाथी देवी पत्नी इन्द्राजमल जाति गुर्जर निवासी टीबा तह0 खेतड़ी
11. अनोप कंवर बेवाह सहजाद सिंह
12. अशोक सिंह पुत्र सहजाद सिंह
13. मामकोर बेवाह कल्याण सिंह
14. रमेश पुत्र कल्याण सिंह नवीरा सहजाद सिंह
15. पवन पुत्र कल्याण सिंह नवीरा सहजाद सिंह
16. पिंकू पुत्र कल्याण सिंह नवीरा सहजाद सिंह
17. नानकंवर बेवाह रामकुमार सिंह
18. सवाई सिंह पुत्र रामकुमार सिंह
19. राजूसिंह पुत्र रामकुमार सिंह
20. बलबीर सिंह पुत्र रामकुमार सिंह
21. श्योबाई बेवाह सुरजन सिंह
22. मानसिंह पुत्र सुरजन सिंह (फौत)
22/1 कृष्णा पत्नी मानसिंह
22/2 नोरंग पुत्र मानसिंह
22/3 बजरंग पुत्र मानसिंह
22/4 जीतू पुत्र मानसिंह
23. जयसिंह पुत्र सुरजनसिंह
24. भादरसिंह पुत्र सुरजनसिंह
25. ओमपाल सिंह पुत्र सुरजनसिंह
26. देवीसिंह पुत्र मूलसिंह
27. केसुसिंह पुत्र मूलसिंह
28. भगवानसिंह पुत्र श्योकरण सिंह
29. गोविन्द सिंह पुत्र जोरसिंह
30. शिम्भूसिंह पुत्र जोरसिंह
31. सुमेरसिंह पुत्र जोरसिंह
32. बलबीर सिंह पुत्र जोरसिंह
33. खजानी बेवाह समन्दर सिंह
34. जयवीर पुत्र समन्दर सिंह
35. भागीरथ सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
36. रामपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
37. सुरज कंवर बेवाह नारायण सिंह (फौत)
38. अमरबाई पुत्री नारायण सिंह पत्नी [illegible]
39. छाजूसिंह पुत्र सोहन सिंह
40. सरदार सिंह पुत्र सोहन सिंह
जाति राजपूत निवासी टीबा बसई तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
41. गिन्दोड़ी बेवाह घीसाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

42. बबलू पुत्र घीसाराम
43. प्रताप पुत्र घीसाराम
जाति गुर्जर निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी
44. सविता पत्नी वेदप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0
45. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी, झुन्झुनूं, राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय :– **दिनांक 12–04–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–04–2016 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 5 रकबा 3.12 है0 भूमि में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/4 हिस्से का, ग्राम बसई स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 788/125 रकबा 1.62 है0 में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/4 हिस्से का, ग्राम बसई स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 458, 463, 464, 465, 796/465 किता 5 कुल रकबा 1.43 है0 भूमि में वादी सं. 1 का 1/16 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/16 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/16 हिस्से तथा ग्राम बसई स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 2.89 है. में वादी सं. 1 का 1/12 हिस्से एवं ग्राम बसई स्थित भूमि खसरा नंबर 105, 106 किता 2 रकबा 1.22 है0 भूमि में वादी सं. 1 का 1/12 हिस्से का खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। न्यायालय हाजा के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, खेतडी ने अपने पत्रांकः कैम्प/16/17 दिनांक 20.06.2016 से मार्ग दर्शन चाहे जाने पर न्यायालय पत्रांकः राजस्व/16/1092 दिनांक 08.09.2016 से तहसीलदार, खेतडी को आदेशित किया कि ग्राम बसई स्थित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 2.89 है., ख.नं. 105, 106 किता 2 रकबा 1.22 है. में वादी सं. 1 जगदीश सिंह द्वारा अपना 1/12 हिस्से का बेचान कर दिये जाने से उक्त खसरा नंबरान को वादी के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाकर शेष का मुताबिक डिक्री व निर्णय के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जावें।

प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016 की मोहन सिंह आदि ने माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां प्रथम अपील संख्या 202/16 उनवानी किशन सिंह आदि संस्थित की गई जिसे माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2017 से खारिज कर न्यायालय हाजा के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016 को यथावत् रखा गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने न्यायालय हाजा के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016 की पालना में अपने पत्रांकः 369 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

26.02.2018 से विभाजन प्रस्ताव पेश किये। जिस पर उभय पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी मोहन सिंह आदि ने न्यायालय हाजा के आपत्ति खारिज आदेश दिनांक 14.03.2018 की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहां निगरानी संख्या 2753/2018 उनवानी मोहन सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि संस्थित की गई जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.09.2019 से आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 को निरस्त कर तहसीलदार, खेतड़ी को निर्देश दिये कि समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर मंगवाये एवं तदुपरान्त पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित हो। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.09.2019 की अनुपालना में तहसीलदार, खेतड़ी स्वयं ने मौके पर जाकर समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांकः भू.अ./2021/842 दिनांक 19.03.2021 पेश किये जाने पर विभाजन प्रस्ताव का उभय पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं को पर्याप्त समय देकर अवलोकन परीक्षण कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.03.2021 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि विभाजन प्रस्ताव में अच्छी व सड़क के नजदीक की भूमि वादीगण के नाम प्रस्तावित की गई है। जबकि खराब व सड़क से दूर की भूमि प्रतिवादीगण के नाम प्रस्तावित की गई। जो अनुचित है। प्रतिवादीगण को भी सड़क के नजदीक की अच्छी भूमि दी जावे। विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः से तहसीलदार, खेतड़ी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जावे।

विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.09.2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्वयं भूमिधारी/तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बाद पूर्व सूचना के पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुए सभी काश्तकारों को रास्ते की पहुंच सुनिश्चित करते हुये तैयार कर पेश किये गये हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तथा न ही कोई सारतः अनियमितता है। प्रतिवादीगण सड़क के नजदीक जहां पर वादीगण का उसके पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त है उस भूमि को हड़पना चाहते हैं। जो कतई अनुचित है। वादीगण के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव में जो भूमि प्रस्तावित की गई है उसे वादीगण ने अपनी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। जब जमीन उबड़ खाबड़ पड़ी थी केवल बारिश के पानी से ही फसल काश्त होती थी उस समय वादग्रस्त भूमि में सड़क नहीं थी केवल कच्चा रास्ता था तब से ही प्रतिवादीगण उसी भूमि पर काश्त करते थे जो विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम प्रस्तावित की गई। प्रतिवादीगण [illegible] प्रस्तावित भूमि में उनके पुख्ता मकानात भी बने हुये हैं जिसमें प्रति[illegible] [illegible] कर रहे हैं तथा पशुधन भी रख रखे हैं। प्रतिवादीगण अब विभाज[illegible] [illegible] [illegible]त की भूमि को खराब बता रहे हैं जबकि प्रस्तावित भूमि को 30-40 साल से काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण लालची किस्म के व्यक्ति है जो वादीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वादीगण ने बहस के अंत में कथन किया कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.03.2021 के अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि हस्तगत प्रकरण मात्र खाता विभाजन के उद्देश्य से वर्ष 2008 से लम्बित है। सम्पूर्ण प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री से लेकर प्रथम अपील में तथा मण्डल में निगरानी तक में बार-बार यही बिन्दु उठा है कि वादीगण को अच्छी व साडक की भूमि दी जा रही है तथा रास्ते का भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है। अंतिम निर्देश मण्डल से प्राप्त होने के बाद स्वयं श्री कृष्ण सिंह यादव तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा मौके पर अपने राजस्व कार्मिकों को रिकार्ड के साथ ले जाकर विवादग्रस्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों/काश्तकारों की उपस्थिति में बाद पूर्व सूचना के पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये सभी काश्तकारों को रास्ते की पहुंच सुनिश्चित करते हुये तैयार कर पेश किये हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी खातेदार काश्तकार को उसकी संयुक्त भूमि जिसमें आये दिन विवाद हो का खाता विभाजन करवाने के लिए स्वतंत्र है तथा यह उसका कानूनी अधिकार भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.03.2021 के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–03–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब" राजस्व ग्राम बसई) एवं (प्रदर्श–"अ–1 से अ–5" व "ब" राजस्व ग्राम टीबा) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–03–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब" राजस्व ग्राम बसई) एवं (प्रदर्श–"अ–1 से अ–5" व "ब" राजस्व ग्राम टीबा) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार विभाजित भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)